# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 66/2009

जनक कंवर पत्नि श्री रणधीर सिंह पुत्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीनाल तह0 मांगरोल .....वादनी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

**वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा, श्री हरिओम प्रजापति

दायरा दिनांकः 14.10.2009

निर्णय दिनांक : 12.02.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी के पिता स्वर्गीय उम्मेदसिंह पुत्र जौरावर सिंह ग्राम श्रीनाल तह0 मांगरोल के स्थायी निवासी थे, उनके कब्जे काश्त के कुल आराजी 440 बीघा 15 बिस्वा ग्राम श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित थी। वादनी के पिता उम्मेदसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने वारिसान के मध्य आराजी का विभाजन कर दिया था, वादनी को विरासत के रूप में वादनी के पिता ने खसरा नं0 83 की 82 बीघा आराजी दी थी, जो कि सिलिंग प्रकरण में मुक्त करके पुनः वादनी के खाते में दिनांक 18.05.1990 को दर्ज की गई थी। सेटलमेंट पश्चात आराजी का नवीन खसरा नं0 93 रकबा 13.12 है0 दर्ज किया गया जिसमें वादनी वर्तमान में मालिक व स्वामिनी है। खसरा नं0 83 रकबा 82 बीघा एक बहुत बढा खेत चक है जिसके चारो और बडी–बडी मेंढे है यह मेढ इसी खेत का एक भाग है आराजी का पुराना नक्शा सम्वत 2010 से 2011 देखने से स्पष्ट है कि पुराना खसरा नं0 83 एक बहुत बढा खेत है तथा इसके चारो और निम्न खसरा नम्बरान 82, 58, 62, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 83/94, 83/95 स्थित है। अतः वादनी को खसरा नं0 58 रकबा 0.43 है0 खसरा नं0 90 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 91 रकबा 2.60 है0, खसरा नं0 92 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 94 रकबा 0.40 है0 वाके माल श्रीनाल का खातेदार घोषित करने का आदेश प्रदान करें। तथा वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी उपरोक्त वर्णित आराजी का आवंटन नही करे तथा धारा 91 व धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत कार्यवाही नही करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 14.10.2009 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.11. में अंकन किया कि सदभावी वादनी जिनं खसरा आराजियात खसरा नं0 91/2.60 है0, खसरा नं0 92/0.12 है0, खसरा नं0 94/0.40 है0 पर आवंटन/नियमन से राहत पाना चाहती है वह भूमियां सिवायचक खाता सरकार में दर्ज है। इसलिए इन पर काश्त करने वालो के विरूद्ध उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 सपठित धारा 91 एल0आर0एक्ट0 के अन्तर्गत कार्यवाहियां होती आई है। भविष्य में भी होगी। वाद खारिज योग्य है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। जवाब सरकार शामिल पत्रावली है। वादिया की आराजी के समीपस्थ स्थित आराजी खसरा नं0 58 रकबा 0.43 है0 खसरा नं0 90 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 91 रकबा 2.60 है0, खसरा नं0 92 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 94 रकबा 0.40 है0 वाके माल श्रीनाल को वादिया अपने खाते दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि वादिया आराजी खसरा नं0 58 रकबा 0.43 है0 खसरा नं0 90 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 91 रकबा 2.60 है0, खसरा नं0 92 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 94 रकबा 0.40 है0 वाके माल श्रीनाल को खाते दर्ज करवाना चाहती है परन्तु उक्त आराजी सिवायचक खाता सरकार में दर्ज है जिसे वादिया के खाते दर्ज नही किया जा सकता है। अतः वाद वादनी खारिज किया जाता है। वक्त आवंटन वादनी को नियमानुसार प्राथमिकता दी जावे। पत्रावली में निर्णय मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।